फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

कानाराम बनाम ओमप्रकाश व स्टेट

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 30/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
25–4–16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज हुए इंतकाल के बाद अपीलाधीन विवादित रकबा आगे बेचान करने को उतारू हैं। यदि दौराने अपील अपीलाधीन रकबा का बेचान हो जाता है तो अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा, और अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रथमदृष्टया मामला अपीलांटस के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । वकील अपीलांट के तर्को से सहमत होते हुए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांटस के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टस को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि अपीलाधीन रकबा रहन एवं बैय से पाबन्द रहें एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे। आदेशिका की प्रमाणित प्रति जारी की जावे। रेस्पोडेन्टस को तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18–5–16 को पेश हो।	
26.4.16	अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पक्की पेशी में ली गई। वकील अपीलांट ने प्रा० पत्र के माध्यम से निवेदन किया कि स्थगन आदेश में इंतकाल सं० व आदेश दि० लिखने से रह गयी है- अतः इंतकाल सं० व दिनांक अंकित कर पुनः जारी किया जावे। प्रा० पत्र पर सुना गया। आदेश का अवलोकन किया। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। स्थगन आदेश दि० 25.4.16 अपीलाधीन इंतकाल सं० 285 आदेश दि० 24.6.15 के संबंध में है। अतः स्थगन आदेश अ० ता० पेशी दि०	N.I. 978 26.04.16

5-5-16

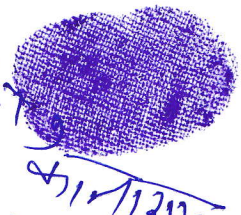

अपीलांट के Ad. के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। अपीलांट स्वयं उप०। अपीलांट को श्री रिछपाल सिंह Ad. ने पहचाना। वकील अपीलांट ने अपीलांट की उपस्थिति में प्रकरण को NOT Press कर अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपील NOT Press में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कानाराम
Identified by me
Not Press
(रिछपाल सिंह)
Adv

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1154
11.05.16 द्वारा
TDR, RSMR को
निर्णय की प्रति
भिजवाई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)